

10.1.23 पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकारान उपर
है-समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखा
जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिये कि
20.1.23 को पेश हो।

20.01.23 पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकारान उपर है।
बहल प्रार्थना पत्र ग.प. में वकील उग्रयपद्मकारान
ने रिफाई और मौके की यथास्थिति बनाए
रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र,
शपथपत्र, प्लकट रिफाई दस्तावेज आदि का
अवलोकन किया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत 212 हा Act आंशिक रूप से
हटाकर किया जाता है। ग्राम भजनेरी
पटवार मण्डल भजनेरी तहसील नैनवां की
जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता सं.
43 के खसरा सं. $\frac{2259}{0-16}$, $\frac{2266}{0-17}$, $\frac{2280}{01-11}$,
 $\frac{2281}{01-12}$, $\frac{2306}{01-01}$, $\frac{2307}{01-00}$, खाता संख्या
41 के खसरा सं. $\frac{2283}{0-18}$, $\frac{2284}{0-18}$, $\frac{2285}{01-10}$,
 $\frac{2286}{01-10}$, $\frac{2287}{02-02}$, खाता संख्या 42 के खसरा
सं. $\frac{2203}{01-02}$, $\frac{2204}{01-03}$, एवं खाता सं. 224 के
खसरा सं. $\frac{2293}{0-09}$ के सम्बन्ध में तार्किकता
बाद रिफाई एवं मौके की यथास्थिति बनाए
रखे जाने की प्रस्थायी निषेधाज्ञा से
उग्रयपद्मकारान को पाबंद किया जाता है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली बाद तकमील भूलवाद के साथ
संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)



स